जनपद बाराबंकी

दिनांक- 25.07.2025

"Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से बलात्संग की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए "Operation Conviction" कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में थाना हैदरगढ़ पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 246/2019 धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बसन्तू उर्फ बसन्तलाल पुत्र स्व0 अमरनाथ निवासी ग्राम मोती सिंह का पुरवा मजरे भिटौरा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0- 44 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.07.2019 को थाना हैदरगढ़ पर वादिनी द्वारा अभियुक्त बसन्तू उर्फ बसन्तलाल पुत्र स्व0 अमरनाथ निवासी ग्राम मोती सिंह का पुरवा मजरे भिटौरा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी के विरुद्ध वादिनी की नबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई । उक्त सूचना के आधार पर थाना हैदरगढ़ पर मु0अ0सं0- 246/2019 धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

पुलिस/अभियोजन टीम-

1-श्री योगेन्द्र सिंह, श्री अजय सिंह, श्री पुरूषोत्तम मिश्रा अभियोजक अधिकारी ए0एस0जे0 कोर्ट नं0- 44 जनपद बाराबंकी

2-निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी

3-उ0नि0 अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी

4-म0हे0का0 प्रतिमा द्विवेदी, म0का0 अंशू द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
5-का0 आदर्श कुमार मिश्रा, का0 नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
6-का0 नीरज कुमार पैरोकार हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी
7-कोर्ट मो0 हे0 का0 अलोक कुमार कोर्ट नं0- 44 जनपद बाराबंकी